

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगंध भवन, पालारिवट्टम

कोच्ची - 682 025, केरल

विपणन-एसपी/सामान्य/0001/2021

17-01-2025

मसाला पार्क शिवगंगा के भांडागार पट्टे पर लेने के लिए बोली आमंत्रित की जाती है

स्पाइसेस बोर्ड ने तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के कोट्टागुडी गांव में एक स्पाइसेस पार्क की स्थापना की है, जिसमें मिर्च और हल्दी के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए सभी बुनियादी अवसंरचना सुविधाएं और उच्च सुविधाएं हैं और कच्चे माल और तैयार उत्पादों के भंडारण के लिए भांडागार है। अब, बोर्ड मसाला पार्क, शिवगंगा में स्थापित 603 वर्ग मीटर की हल्दी के लिए तैयार भांडागार को पट्टे पर देने के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियों को आमंत्रित करता है।

पात्रता

निम्नलिखित ईओआई प्रस्तुत करने के पात्र हैं:

- क) मसाला निर्यातक जिनके पास वैध मसाले के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र(सीआरईएस) है।
- ख) मसाला व्यापारी जिनके पास वैध जीएसटी पंजीकरण है।
- ग) कोरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र रखने वाली किसान उत्पादक कंपनियां।
- घ) जिस बाज़ार।
- ड) केंद्रीय / राज्य भंडारण निगम।

इच्छुक पार्टियां सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक पार्क में जा सकती हैं। वे निम्नलिखित पते पर फार्म प्रबंधक, स्पाइसेस पार्क, शिवगंगा से संपर्क कर सकते हैं:

स्पाइसेस बोर्ड, मसाला पार्क

शिवगंगा, तमिनाडु

ई-मेल:spicesparkshivaganga@gmail.com

भांडागार को किराए पर देने के लिए निबंधन व शर्तें:

1. सुविधा 'जैसे है जहां है' की स्थिति में किराए पर दी जाएगी।
2. भांडागार को सौंपने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए किराए पर दिया जाएगा।
3. किराया, प्रति वर्ष पाँच प्रतिशत की दर पर बढ़ाया जाएगा।
4. स्पाइसेस बोर्ड यथानुपात आधार पर भुगतान पर सुविधाओं को पानी और बिजली प्रदान करेगा।
5. भांडागार उस पार्टी को किराए पर दिया जाएगा जिसने प्रति माह सबसे अधिक राशि कोट करने के साथ-साथ बोर्ड के अन्य नियमों और शर्तों को पूरा किया हो।
6. उच्चतम बोलीदाता, बोर्ड से प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर बोर्ड के साथ एक करार बनाएगा।
7. उच्चतम बोली लगाने वाले को, प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने के बाद, बिजली, किराया आदि के किसी भी

- अवैतनिक भुगतान के खिलाफ गारंटी के तौर पर तीन महीने के किराए के बराबर ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा और रु. 2,00,000/- की जमानत राशि का भुगतान बोर्ड के प्राप्ति खाते में ऑनलाइन बैंक अंतरण के माध्यम से करना होगा।
8. बोर्ड को भांडागार हस्तांतरित करते समय ब्याज रहित सुरक्षा जमा और आकस्मिक जमा वापस की जाएगी। सुरक्षा जमा और आकस्मिक जमा करार के साथ भेजना होगा।
 9. उच्चतम बोलीदाता, करार की तारीख से 15 दिनों के भीतर और सुरक्षा जमा और आकस्मिक जमा की प्राप्ति के बाद सुविधा का कब्जा लेगा ।
 10. यदि करार की तिथि से 15 दिनों के भीतर कब्जा नहीं लिया जाता है, तो इसे निविदा शर्त-भंग माना जाएगा और बोर्ड को अन्य पात्र फर्म/एजेंसी को सुविधाएं पट्टे पर देने का अधिकार होगा।
 11. आगामी महीने की पांच तारीख को या उससे पहले स्पाइसेस बोर्ड को 18 प्रतिशत जीएसटी सहित मासिक किराये का भुगतान किया जाएगा।
 12. सुविधाएँ अन्य किसी फर्मों को उप किराए पर नहीं दी जाएँगी।
 13. बोर्ड बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार/रद्द करने का अधिकार रखता है।
 14. यदि भांडागार सुविधाओं का लगातार तीन महीने से अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जाता है, तो बोर्ड पट्टा-करार को समाप्त कर देगा।

अन्य निबंधन

1. आवेदन संलग्नक- 1 के रूप में दिए गए फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जाएगा
2. बोलियाँ संलग्नक- 2 में दिए गए फॉर्मेट में प्रस्तुत की जाएँगी।
3. ईएमडी बोली प्रस्तुत करने के लिए अनुप्रयोज्य नहीं है। तथापि, बोलीदाता संलग्नक-3 में दिए गए निर्धारित फॉर्मेट में बोली सुरक्षा घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
4. बोली 14-02-2025 को दोपहर बाद 3.00 बजे या उससे पहले निम्नलिखित पते पर एक मुहरबंद लिफाफे, जिसके ऊपर "मसाला पार्क, शिवगंगा में भांडारण सुविधा को किराए पर देने के लिए बोली" लिखा होगा, में भेजी जाएगी ।

प्रभारी उप निदेशक,

स्पाइसेस बोर्ड, प्रादेशिक कार्यालय

बोडिनायकनूर -625513, तमिल नाडु

5. बोलियाँ 30.06.2023 को दोपहर बाद 3.30 बजे को प्रादेशिक कार्यालय, बोडिनायकनूर में बोलीदाताओं की उपस्थिति में, यदि कोई हो तो, खोली जाएँगी।

स्थान: कोच्ची

तारीख : 17-01-2025

निदेशक (विपणन)

भाग I

मसाला पार्क शिवगंगा में कैंटीन पट्टे पर देने के लिए बोली प्रस्तुत करने का फार्मेट

1	आवेदक का नाम एवं पता	
2	श्रेणी (कृपया टिक करें)	वैध सीआरईएस रखने वाले मसाला निर्यातक मसाला व्यापारी जिनके पास वैध जीएसटी पंजीकरण है कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र रखने वाली किसान उत्पादक कंपनियाँ। जिस बाज़ार केंद्रीय / राज्य भंडारण निगम। जिस बाज़ार
3	संलग्न समर्थक दस्तावेज़ (कृपया टिक करें)	मसाला निर्यातक- मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र मसाला व्यापारी- जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र किसान उत्पादक कंपनियाँ -पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति जिस बाज़ार
4	संपर्क व्यक्ति का नाम	
5	संपर्क व्यक्ति का ई-मेल एवं दूरभाष	
6	जीएसटी सं.	
7	पैन नं.	
8	भंडारित किए जाने वाले मसाले/मसाला उत्पाद	
9	बैंक विवरण	खाता नंबर बैंक का नाम शाखा आईएफएससी कोड
10	किसी अन्य विवरण	

स्थान:

तारीख:

(हस्ताक्षर)

व्यक्ति का नाम:

पद

(मुहर)

भाग II

व्यावसायिक बोली

(एक अलग मुहरबंद कवर में रखा जाना है)

भांडागार के लिए प्रति माह का पट्टा किराया	किराया राशि: जीएसटी: कुल:
---	---------------------------------

स्थान:

तारीख:

(हस्ताक्षर)

व्यक्ति का नाम:

पद

(मुहर)

(फर्म के लैटर हेड में)
बोली-सुरक्षा घोषणा

निदेशक (विपणन)

स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन,
एन.एच. बाईपास, पलारीवट्टम,
कोच्ची, केरल - 682025

संदर्भ:

स्पाइसेस बोर्ड के _____ के लिए निविदा सूचना।
.....स्पाइसेस पार्क में _____ सुविधा के लिए हमारी
बोली दिनांकित.....

मैं/हम..... अप्रतिसंहरणीय रूप से निम्नानुसार घोषित करता/करती हूँ/करते हैं:

मैं/हम समझता/समझती हूँ/समझते हैं कि, निविदा के खंड के अनुसार, हम बयाना जमा (ईएमडी) के बदले एक बोली सुरक्षा घोषणा संलग्न कर रहे हैं।

मैं/हम एतद्वारा स्वीकार करते हैं कि मैं/हम आपके साथ किसी भी करार के लिए बोली लगाने से अयोग्यता की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य हो सकते हैं जैसा कि आपके द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है (क्षति या किसी अन्य कानूनी सहारा दावा करने के स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) यदि,

- 1) मैं/हम बोली शर्तों के तहत किसी भी दायित्व का उल्लंघन कर रहा/रही हूँ/रहे हूँ
- 2) मैं/हम बोली के फॉर्म में निर्धारित बोली वैधता अवधि या विस्तृत अवधि के दौरान मेरी/हमारी बोली वापस किया गया या एकपक्षीय रूप से आशोधित/संशोधित/पुनरीक्षित किया गया, यदि कोई हो तो।
- 3) स्पाइसेस बोर्ड द्वारा हमारी बोली स्वीकार करने पर, मैं/हम करार निष्पादित करने के लिए निर्धारित सुरक्षा जमा जमा करने में विफल रहे या निबंधन और शर्तों के अनुसार और विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्य का निष्पादन प्रारंभ करने में विफल रहे।

हस्ताक्षर:

बोली-सुरक्षा घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाला
प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं पद

दिनांक _____ दिन _____ माह, _____ वर्ष।